भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1721
जिसका उत्तर मंगलवार 06 मार्च, 2018 को दिया जाना है

नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान

1721. श्रीमती संतोष अहलावत:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फेम इंडिया योजना में संख्या के हिसाब से निष्पादन नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 के तहत परिकल्पित संख्या से काफी कम है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है और नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन 2020 के अनुसार इस संख्या में वृद्धि करने हेतु सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख): नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020(एनईएमएमपी 2020) के तहत, वर्ष 2020 तक हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की 6-7 मिलियन बिक्री प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है।

एनईएमएमपी 2020 के भाग के रूप में, भारत सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों(एक्सईवी) को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2015 में फेम इंडिया स्कीम अधिसूचित की। सरकार ने ।14,000 करोड़ की सहायता के साथ एक 6 वर्षीय योजना, जैसा कि एनईएमएमपी 2020 में परिकल्पित है, के बजाय ।795 करोड़ के परिव्यय के साथ दो वर्षों के लिए प्रायोगिक परियोजना के रूप में स्कीम को आरंभ करने का निर्णय लिया। इस समय फेम इंडिया स्कीम का चरण-I चल रहा है, जो मूलतः दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2017 तक दो वर्षों की अवधि के लिए था और जिसे अब दिनांक 31.03.2018 तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को आगे और बढ़ावा देने के लिए मूल फेम स्कीम में निम्नलिखित संशोधन किए गए:-

- अधिसूचना संख्या एस.ओ.2696(ई) दिनांक 30.09.2015 के द्वारा, भारत में कहीं भी उनकी बिक्री करने के लिए सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड दुपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए स्कीम को लागू किया गया।

- अधिसूचना संख्या एस.ओ.4175(ई) दिनांक 23.12.2016 के द्वारा तिपहिया वाहनों (श्रेणी एल5) के लिए स्कीम को बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (बीईवी) श्रेणी हेतु आगे ओर बढ़ाया गया।
- अधिसूचना संख्या एस.ओ.2199(ई) दिनांक 04.07.2017 के द्वारा स्कीम के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन (25 किमी/घंटा की अधिकतम गति के साथ) को भी शामिल किया गया है।
- अधिसूचना संख्या एस.ओ.2198(ई) दिनांक 12.07.2017 के द्वारा एल5 श्रेणी को रेट्रोफिटमेंट श्रेणी में शामिल किया गया है।
- अधिसूचना संख्या एस.ओ3012(ई) दिनांक 12.09.2017 के द्वारा स्कीम के अंतर्गत मांग प्रोत्साहन के लिए पूर्णतः इलेक्ट्रिक बस को भी शामिल किया गया है।

उपर्युक्त संशोधनों के अलावा, विभाग ने हाल ही में एक मिलियन से अधिक की आबादी वाले शहरों तथा विशेष श्रेणी के राज्यों में इलेक्ट्रिक बसों, इलेक्ट्रिक चोपहिया यात्री कारों इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों के संयोजन में मांग प्रोत्साहन देते हुए रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) की प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रिक पावरट्रेन पर आधारित सार्वजनिक और साझा मोबिलिटी आरंभ करने की घोषणा की। रूचि की अभिव्यक्ति को जबर्दस्त प्रतिक्रिया प्राप्त हुई, जिसमें विभाग को 3144 ई-बसों, 2430 ई-चोपहिया टेक्सियों और 21,545 ई-तिपहिया ऑटो की आवश्यकता के साथ 21 राज्यों के 44 शहरों से 47 प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन प्रस्तावों की जांच करने के बाद, प्रायोगिक परियोजना के रूप में वर्तमान रूचि की अभिव्यक्ति के अंतर्गत वित्त पोषण हेतु ग्यारह (11) शहरों का चयन किया गया। चुने गए शहरों को दिनांक 28.02.2018 तक निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप देना और आपूर्ति आदेश जारी करना अपेक्षित है।

फेम स्कीम के चरण-I में प्राप्त अनुभव के आधार पर यह देखा गया है कि देश में पर्याप्त चार्जिंग अवसंरचना की अनुपलब्धता और लिथियम बैटरी प्रौद्योगिकी का न होना इस स्कीम के संभावित परिणाम के साथ स्कीम को सहज रूप से आरंभ करने के लिए मुख्य बाधाएं हैं। मोटर, कंट्रोलर जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को अभी पूर्ण रूप से विकसित होना है। इससे लागत बढ़ती है और वाहनों की कीमत को अप्रतिस्पार्धी बनाती है।

****